"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल 2017 — चैत्र 15, शक 1939

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-8/सात-1/2017. — छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम 2005 (क्र. 7 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर नियम 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 10-क में, उप-नियम (3) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(एक) निधि का उपयोग, निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) राज्य में अधोसंरचना कार्य यथा बिजली, सड़क, पुल, पीने के पानी की आपूर्ति, सिंचाई, भण्डारगृह, सामुदायिक भवन इत्यादि के निर्माण एवं रख-रखाव के प्रयोजन हेतु;

(ख) मैदानी अधिकारियों के लिए आवास एवं कार्यालय भवन हेतु;

(ग) शैक्षणिक, कौशल विकास एवं रोजगार हेतु, जिसमें खेलकूद की गतिविधियों से संबंधित विकास कार्य सम्मिलित है; और

(घ) पर्यावरण के विकास संबंधी कार्य हेतु, कुल कोष का न्यूनतम 50% होगा :

परन्तु, निधि का न्यूनतम 50%, प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये अनिवार्य रूप से व्यय किया जायेगा."

No. F 4-8/Seven-1/2017.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas Avam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh (Adhosanrachna Vikas Avam Paryavaran) Upkar Niyam, 2005 namely :-

AMENDMENT

In the said Rule,-

In rule 10-A, in sub-rule (3), for clause (i), the following shall be substituted, namely :-

"(i) Fund shall be utilized by the State Government in connection with following activities, namely :-

(A) For the purpose of construction and maintenance of infrastructure work in the State as electricity, road, bridge, supply of drinking water, irrigation, warehouse, community building etc.;

(B) For accommodation and office building for field officers.

(C) For educational, skill development and employment including developmental work related to sports activities; and

(D) For work related to environmental development shall be minimum 50% of the total fund :

Provided that minimum 50% of the fund shall be spent compulsorily for the development of affected areas."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.